International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 10 Issue 11 Ser. II ||November, 2021 || PP. 74-75

आदिवासी चेतना के नायक जयपाल सिंह मुंडा

डॉ. भरत लाल मीणा
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग ,
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर

प्रस्तावना :–

भारतीय संविधान को बनाने में जिन नायकों की भूमिका रही है उनमें जयपाल सिंह मुंडा का विशिष्ट स्थान है। दलितों के उत्थान में जो भूमिका डॉ अंबेडकर की रही है, आदिवासियो के उत्थान में वैसी ही भूमिका जयपाल सिंह मुंडा की रही है। उनमें भरपूर ऊर्जा और असाधारण प्रतिभा थी। वे अपनी मातृभाषा मुंडारी के अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, हिन्दी और नागपुरी भाषा के अच्छे जानकार थे। वे "ऑक्सफोर्ड ब्लू" का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे तथा उनके नेतृत्व में भारत की हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल (1928, एम्स्टरडम) जीता था। वे इंडियन सिविल सर्विस (आई.सी.एस) में चयनित होने वाले पहले आदिवासी थे तथा कुशल वक्ता, संगठकर्ता, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, संपादक, लेखक, शिक्षाविद और प्रशासक रहे। इतनी बहुमुखी प्रतिभा के बावजूद भारतीय इतिहास, राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जयपाल सिंह को वो स्थान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे। किंतु आदिवासी समुदाय उन्हें "मरंग गोमके" यानि सर्वोच्च नेता के तौर पर याद करता है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दंतकथा पर आधारित मुंडारी लोकगीतों में जयपाल सिंह को बिरसा मुंडा के उलगुलान की उपज और उसका अवतार बताया गया है। नागपुरी के कवि अर्जुन भगत ने तो 1942 में उन पर एक कविता लिखी थी जिसकी पंक्ति थी "धन्य विधि के विचारे, दुनियां हरे जयपाल सिंह चरण पधारे।" यद्यपि दंतकथाओं में कल्पना की उड़ान होती है और तथ्यात्मकता का अभाव होता है लेकिन ये जनमानस में किसी नायक की लोकप्रियता का पैमाना तो बन ही जाती हैं। आमजन में इतने लोकप्रिय जयपाल सिंह मुंडा को उस समय के मुख्यधारा के मिडिया ने उपेक्षा भाव से ही देखा। उस समय के रांची के एकमात्र नियमित समाचार पत्र "द सेंटिनल" ने जयपाल सिंह के विरुद्ध व्यंग्यात्मक शैली में एक लेख प्रकाशित किया था, जिसका शीर्षक था "अनादर बिरसा भगवान बट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड।" इस व्यंग्य से प्रतीत होता है कि समाज की मुख्यधारा आदिवासियों को सुशिक्षित बनकर जेंटलमैन की छवि में देखने की आदी नहीं है। मुख्यधारा का समाज उन्हें नंग धडंग, अशिक्षित और असभ्य ही देखना चाहता है। देश की आजादी के बाद भी इस मानसिकता में बदलाव नहीं हुआ। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान सभा के सदस्य और ओलंपिक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे जयपाल सिंह मुंडा के बारे में मुख्यधारा के समाज को कितनी अधकचरी जानकारी थी, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु के छोटा नागपुर क्षेत्र के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान दिल्ली से प्रकाशित एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र ने यह लिखा था कि "छोटा नागपुर में कांग्रेस को दो राजपूत नेता (रामगढ़ के राजा नारायण सिंह और जयपाल सिंह मुंडा) कड़ी टक्कर दे रहे हैं।" अख़बार ने जयपाल सिंह के नाम के साथ "सिंह" शब्द को उनका कुल नाम समझते हुए मुंडा आदिवासी जयपाल को भी राजपूत घोषित कर दिया था। आज भी मुख्यधारा का मिडिया और समाज आदिवासी समुदाय एवं उनके नायकों व नेताओं के बारे में आदि अधूरी जानकारी ही रखता है। वह उन्हें ऐसी कौतूहल भरी पूर्व धारणाओं से देखता है, मानो आदिवासी दूसरे लोक के प्राणी हैं। जबकि आदिवासी समाज, इतिहास, संस्कृति और नायकों को पूर्व धारणाओं से मुक्त होकर जानने की जरूरत है। इस क्रम में जयपाल सिंह मुंडा एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिन्हें देश के आदिवासी समुदायों के साथ साथ मुख्यधारा के समाज को भी जानना चाहिए।

जयपाल सिंह की जीवनी :–

जयपाल सिंह की पहली जीवनी उनके समय में ही उनके सहयोगी गोपाल मुंजाल ने लिखी थी। दूसरी किताब रेडियो शैली में लिखा गया श्रुति नाटक "झारखंड का अमृत पुत्रः मरंग गोमके जयपाल सिंह" है। जिसे गिरधारीराम गौंझू "गिरिराज" ने लिखा है। स्वयं जयपाल सिंह ने अपनी मृत्यु से एक वर्ष पूर्व 1969 में अंग्रेज़ी में आत्मकथा लिखी– "लो बीर सेंदरा" जिसका मुंडारी भाषा में अर्थ होता है– जलते हुए जंगल में शिकार। जयपाल सिंह के बेटे जयंत द्वारा अनुशंसित इस आत्मकथा का देश के आदिवासी समुदाय के लिए अमूल्य महत्व है। 2015 में अश्विनी कुमार पंकज ने "मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा" शीर्षक से एक और जीवनी लिखी है। इसमें जयपाल सिंह के जीवन, संघर्ष और झारखंड व भारत के आदिवासी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य पर विस्तार से जानकारी दी गई है। 2017 में प्रभात प्रकाशन, दिल्ली से बलबीर दत्त द्वारा लिखित एक और पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसका शीर्षक है "जयपाल सिंहः एक रोमांचक अनकही कहानी।" पुस्तक में जयपाल सिंह और उनके आंदोलन के अलावा तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम की अनेक अल्प ज्ञात और अज्ञात बातें हैं और इसमें जयपाल सिंह के अनिश्चित व्यवहार के बारे बढ़ा चढ़ाकर कर लिखा गया है।

जयपाल सिंह का जन्म 03 जनवरी 1903 को खूंटी के टकरा पाहनटोली में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पैतृक गांव में ही हुई। मिशनरी के प्रभाव में आने से उन्हें रांची के सेंट पॉल हाई स्कूल में प्रवेश मिला। उनकी कुशग्रता को देखते हुए स्कूल के प्राचार्य रेवरेंड कैनन कॉसग्रेव ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया, जहां 1920 में उन्हें कैंटबरी के आगस्टाइन कॉलेज में प्रवेश मिला। फिर उन्हें 1922 में ऑक्सफोर्ड में प्रवेश मिला। जयपाल सिंह के लिए ऑक्सफर्ड जाना टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।

भारतीय हॉकी टीम का गठन और नेतृत्व : –

जयपाल सिंह हॉकी के उत्कृष्ट खिलाड़ी थे। उनकी हॉकी में विशेष रुचि थी को देखकर उन्हें बिम्बल्डन हॉकी क्लब और ऑक्सफोर्ड शायर हॉकी एसोसियेशन का सदस्य बनाया गया। इसके बाद जयपाल सिंह ने भारतीय छात्रों को मिलाकर हॉकी टीम गठित की। 1923 से 1928 तक उन्होंने बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी के विश्वविद्यालयों को अपनी अदभुत खेल प्रतिभा का जलवा दिखाया।

हाकी के जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यान चंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि "ऑक्सफोर्ड के उत्कृष्ट फुलबैक जयपाल सिंह, जिन्होंने यूरोप और ब्रिटेन के हॉकी जगत में बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित की थी और जो अपनी शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक प्रतिष्ठा तथा इस खेल की जानकारी के कारण दुनियां के उस इलाके में हमारा नेतृत्व करने के लिए सर्वथा उपयुक्त थे, ठीक आखिरी मैच तक वे हमारा नेतृत्व नहीं कर सके। लोगों का कहना है कि नस्लीय मुद्धों के कारण ऐसा हुआ।" 1948 में एक जाने माने पत्रकार एम.एल कपूर ने इस घटना के बारे में लिखा था कि "टीम के एंग्लो इंडियन सदस्यों ने जयपाल सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। जयपाल सिंह किसी भी अवांछनीय हरकत को बर्दास्त करने को तैयार नहीं थे और सही अर्थों में कैप्टन की भूमिका निभाना चाहते थे।" हम हॉकी में नस्लभेद की घटना को जयपाल सिंह के आई.सी.एस प्रोबेशन की वृद्धि के साथ जोड़कर देखें तो स्वयं जयपाल ने इस बारे में अपनी आत्मकथा में लिखा है कि "जब मैं ओलंपिक खेल कर वापस ऑक्सफोर्ड लौटा तो मुझे बताया गया था कि चूंकि मैंने अनुपस्थिति के लिए इंडिया ऑफिस लंदन से अनुमति नहीं ली है, इसलिए मेरी आई.सी.एस की प्रोबेशन अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी। भारत की विश्व विजेता टीम का कप्तान बनना अंग्रेजों के लिए कोई महत्व नहीं रखता था। मैंने आई.सी.एस से इस्तीफा दे दिया।" इस प्रकार जयपाल सिंह ने नस्लभेद का विरोध करते हुए अपना प्रिय खेल हॉकी और स्वाभिमान के लिए आई.सी.एस की प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़ दिया।

लंदन से लौटकर जयपाल सिंह ने कोलकाता में बर्मा सेल में नौकरी जॉइन की, कुछ समय बाद वे रामपुर के राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए। वे 1938 में बीकानेर के महाराजा के यहां राजस्व व भूमि विकास मंत्री भी रहे। महाराजा ने उन्हें प्रोन्नत कर विदेशी मामलों का मंत्री भी बना दिया था। लेकिन के.एम पणिक्कर ने पंजाब के मुख्यमंत्री सिकंदर हयात खान के माध्यम से इस नियुक्ति का विरोध किया। परिणामस्वरुप वे बीकानेर महाराजा की नौकरी छोड़कर कुछ समय के लिए कश्मीर के महाराजा हरिसिंह के बेटे कर्ण सिंह के ट्यूटर बन गए। आलोचक उन पर अंग्रेज समर्थक होने का आरोप लगाते हैं। लेकिन यह तथ्य है कि ब्रिटिश सरकार ने नागपुर संथाल परगना सबसे ज्यादा जासूसी जयपाल सिंह की ही कराई थी।

आदिवासी चेतना और अधिकारों के लिए संघर्ष :–

1939 में जयपाल सिंह "आदिवासी महासभा" के अध्यक्ष बने और इसके बाद उन्होंने खुद को आदिवासी आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। 1946 में वे खूंटी ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव जीतकर संविधान सभा के सदस्य बने। उन्होंने 1950 में आदिवासी महासभा को राजनीतिक रूप देते हुए झारखण्ड पार्टी का गठन किया और इस पार्टी के माध्यम से आदिवासियों की राजनीतिक भागीदारी की शुरुआत की। उन्होंने आजाद होते भरत में "आदिवासी" शब्द को तो प्रतिष्ठित किया ही, अखिल भारतीय स्तर पर आदिवासी समुदायों को संगठित भी किया। उन्होंने आदिवासियों की राजनीति को वैचारिक व व्यवहारिक रूप से सूत्रबद्ध किया। यह सच है कि जयपाल सिंह का रहन सहन ऑक्सफर्ड से प्रभावित रहा, वे ज्यादातर अंग्रजी में ही बोलते थे। लेकिन यह भी सच है कि वे अपनी आदिवासी अस्मिता और पहचान पर गर्व करते थे, ग्रामीण आदिवासी रीति रिवाजों की कद्र करते थे।1947 में जब अल्पसंख्यक और वंचितों के के अधिकारों पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो उसमें सिर्फ दलितों के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए थे, तब आदिवासियो की अनदेखी देखकर जयपाल सिंह आगे आए। उन्होंने आदिवासियो की वकालत करते हुए संविधान सभा में कालजयी भाषण देते हुए कहा कि "पिछ्ले छः हजार साल से अगर इस देश में किसी का शोषण हुआ है तो वे आदिवासी हैं। अब भारत अपने इतिहास में नया अध्याय शुरू कर रहा है तो हमें अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। उन्होंने संविधान सभा को तीखी नसीयत देते हुए कहा कि आप लोग हम आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। बल्कि आपको समानता और सह अस्तित्व का पाठ आदिवासियों से ही सीखना होगा।" आज जब कॉरपोरेट और सरकारो के बीच नापाक अलोकतांत्रिक गठबंधन विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध लूटमारी करके उन्हें नष्ट कर रहे हैं, तब हमें जयपाल सिंह द्वारा संविधान सभा में व्यक्त लोकतंत्र, समानता और सह अस्तित्व जैसे मानवीय मूल्यों पर आधारित विचार प्रासंगिक लगते हैं। जयपाल सिंह की जीवनी के लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और रंगकर्मी अश्विनकुमार पंकज के अनुसार जयपाल सिंह ने आदिवासी भाषा, संस्कृति और पुरखा स्वशासन व्यवस्था का पारंपरिक हक संविधान में शामिल करने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने धर्म के नाम पर आदिवासियों को बांटने की हर कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया तथा नए भारत के राजनैतिक परिदृश्य में सभी आदिवासी समूहों को कबिलेपन से बाहर निकालकर उन्हें आदिवासियत के एक विचार के रूप में संगठित किया। वे चाहते थे कि जिस प्रकार आदिवासियत की सोच में किसी प्रकार का धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय और लैंगिक भेद नहीं है, वैसा ही विचार भारतीय संविधान, यहां की राजनैतिक पार्टियों और देश के लोगों में होना चाहिए। आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और आदिवासी मंत्रालय तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु द्वारा आदिवासियों के लिए बनाई गई "पंचशील" जयपाल सिंह की ही देन है। हालंकि ये सांविधानिक प्रावधान उस रूप में लागू नहीं हो सके, जैसा जयपाल सिंह चाहते थे। यही वजह है कि पांचवी व छठी अनुसूची और ट्राइबल एडवाइजरी कॉन्सिल होते हुए भी भारत के आदिवासियो को जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ना पड़ रहा है। जयपाल सिंह के हस्तक्षेप के बाद ही संविधान सभा ने उपेक्षित आदिवासी समुदाय के चार सौ समूहों को विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन वे यह नहीं चाहते थे कि इसके लिए आदिवासियों को उनकी आदिवासी पहचान से पृथक कर "अनुसूचित जनजाति" बना दिया जाए। इसका विरोध करते हुए उन्होंने संविधान सभा की बहस में कहा कि– "अध्यक्ष महोदय, मैं उन लाखों अज्ञात लोगों की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो आजादी के अनजान लड़ाके हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, जिनको बैकबर्ड ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स और न जानें क्या क्या कहा जाता है। हम आदिवासी लोगों में जाति व्यवस्था है ही नहीं तो फिर हमें अनुसूचित जनजाति शब्द क्यों दिया? हम आदिवासियों को सिर्फ आदिवासी कहा जाए। हमें अपने लिए कोई दूसरी पहचान स्वीकार नहीं है।"

इस प्रकार जयपाल सिंह ने संविधान सभा में आदिवासियों की आवाज़ को मुखर किया तथा उन्हें संगठित करके राजनीतिक रुप से जागृत किया

निष्कर्ष :–

संविधान सभा तथा बाद में देश की सभी सरकारों द्वारा जयपाल सिंह के उठाए गए सवालों की अनदेखी का ही परिणाम है कि भारत का आदिवासी समुदाय संविधान द्वारा प्रदत्त वर्गीकरण से आज अलग अलग प्रांतो में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में चिन्हित होकर बिखर गया है। इसी आधार पर संयुक्त राष्ट्र की महासभा में उद्बोधन देते हुए भारत के प्रतिनिधि ने यह कह दिया था कि "भारत में कोई आदिवासी समूह नहीं रहता।" यह संकेत है कि कैसे भारत के आदिवासियों की मूल पहचान, इतिहास और संस्कृति को खत्म किया गया है। यदि जयपाल सिंह की संविधान सभा की सभी बहसों को सुना जाय तो हम पाएंगे कि वे आदिवासियों के सम्मुख आने वाले इसी खतरे से संविधान सभा, देश के नेताओं और आदिवासियों को सावचेत कर रहे थे। उनकी आदिवासी पहचान, अस्मिता और लोकतंत्र से जुड़ी सभी चिंताएं आज सच साबित हो रही हैं। वे देश के आदिवासियों, पिछड़ों और स्त्रियों के लिए "जीने के समान अवसर" की वकालत कर रहे थे। आज जब समूचा भारत नस्ल, जाति, लैंगिक और धार्मिक विभाजन की आग में जल रहा है तब यह प्रासंगिक होगा कि भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में जयपाल सिंह के सवालों और चिंताओं का समाधान किया जाय।

संदर्भ सूची :–

1. आदिवासियतः जयपाल सिंह मुंडा के चुनिंदा लेख और वक्तव्य– अश्विनी कुमार पंकज
2. जयपाल सिंहः एक रोमांचक अनकही कहानी– बलबीर दत्त
3. आदिवासी अस्मिता का संकट– रमणिका गुप्ता
4. आदिवासी दुनियां– हरिराम मीणा
5. साक्षात्कारों में आदिवासी– दुर्गाराव बाणावतु, भीम सिंह